संख्या- 214 /2015-3896/नौ-5-15-70सा/2005

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना (जे0बी0आई0सी0 सहायतित) के कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (गंगा) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-128/022-034/15, दिनांक 17.06.2015 के संदर्भ में शासनादेश सं0-1945/नौ-5-2008-70सा/05 टीसी, दिनांक 31.03.2008, शासनादेश सं0-4882/नौ-5-2008-70सा/2005, दिनांक 01.08.2008, शासनादेश सं0-5998/नौ-5-2008-70सा/2005, दिनांक 29.09.2010, शासनादेश सं0-282/नौ-5-2011-70सा/2005, दिनांक 28.02.2011, शासनादेश सं0-3896/नौ-5-2012-70सा/2005, दिनांक 04.12.2012, शासनादेश सं0-2672/नौ-5-2013-70सा/2005, दिनांक 16.05.2013, शासनादेश सं0-252/नौ-5-2014-70सा/2005, दिनांक 17.01.2014 एवं शासनादेश सं0-5496/नौ-5-2014-70सा/2005, दिनांक 16.09.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना (जे0बी0आई0सी0 सहायतित) के कार्य हेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2887.92 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-2016 में रू0 300.00 करोड़ (रू0 तीन सौ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबंधो के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

योजना का नाम/ निर्धारित लागत।	शासनादेश संख्या एवं दिनांक।	अवमुक्त धनराशि।	अवमुक्त की जा रही धनराशि ।
आगरा पेयजल सम्पूर्ति योजना (पलरा)/ संशोधित पुनरीक्षित लागत रू0 2887.92 करोड़	1945/नौ-5-2008-70सा/05 टीसी, दिनांक 31.03.200	700.00	
	4882/नौ-5-2008-70सा/2005, दि0 01.08.2008	9000.00	30000.00
	5998/नौ-5-2008-70सा/2005, दि0 29.09.2010	5000.00	
	282/नौ-5-2011-70सा/2005, दिनांक 28.02.2011	10000.00	
	3896/नौ-5-2012-70सा/2005, दि0 04.12.2012	10000.00	
	2672/नौ-5-2013-70सा/2005, दि0 16.05.2013	20000.00	
	252/नौ-5-2014-70सा/2005, दिनांक 17.01.2014	10000.00	
	5496/नौ-5-2014-70सा/2005, दि0 16.09.2014	30000.00	
	योग	94700.00	

go finance mangal font

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 947.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति -97-बाह्य सहायतित योजनाएं-9701-आगरा जलापूर्ति (पलरा) योजना (जे0बी0आई0सी0 सहायतित)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-214/2015-3896/नौ-5-15-70सा/2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/आगरा ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
6 नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
7. मुख्य अभियंता (आगरा क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा ।
8. मुख्य अभियंता (गंगा) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
9. परियोजना निदेशक, आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) योजना, उ0प्र0 जल निगम 4/4 संजय प्लेस, आगरा ।
10. वित्त (व्यय-नित्रयण) अनुभाग-8/9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

go finance mangal font

11 वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।

12 सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

13 गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

shasnadesh.up.nic.in/mitra